

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग  
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।

:- कार्यालय आदेश :-

का० आदेश सं०-41

पटना-01, दिनांक-12.06.17

रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली 2010 संबंधी वित्त विभागीय संकल्प सं०-7566 दिनांक 14.07.2010 एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) निरसन नियमावली, (संशोधित) 2010 संबंधी वित्त विभागीय अधिसूचना सं०-7549 दिनांक 13.07.2010 एवं वित्त विभागीय पत्रांक 6068 दिनांक 13.06.2013 के आलोक में विभागीय स्क्रूनिंग समिति (निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण के अधीन गठित) की दिनांक 25.05.2017 को सम्पन्न बैठक में की गई अनुशांसा के आलोक में निदेशालय नियोजन के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के चतुर्थवर्गीय कर्मियों को नियमानुसार 12 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के उपरांत वित्तीय उन्नयन एवं रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अंतर्गत सीधी भर्ती ग्रेड वेतन में 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरांत वित्त विभाग के संकल्प सं०-7566 दिनांक 14.07.2010 के परिशिष्ट 1 कडिका-2 के अनुसार रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना अंतर्गत लाभ दिया गया।

वित्त विभाग के परिपत्र-5706/वि० दिनांक 30.06.2015 के आलोक में वैसे कर्मी जिन्हें द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन 2750-4400-अपुनरीक्षित एवं पुनरीक्षित वेतनमान पी० वी०-1+2400 में प्राप्त हो चुका है उन्हें दिनांक 01.01.09 या 30 वर्ष की सेवा पूरी करने की तिथि, जो बाद में हो, से पी० वी०-1+2800 के वेतनमान से तृतीय रूपांतरित वित्तीय उन्नयन देय होगा।

निम्नांकित निदेशालय नियोजन (मुख्यालय) एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के चतुर्थवर्गीय कर्मियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ 4, 5, 6, 7 एवं 8 में अंकित तिथि से प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन के लाभ की स्वीकृति दी गई।

**निदेशालय नियोजन (मुख्यालय)**

क्र० सं०	नाम, पदनाम एवं वेतनमान (कार्यालय परिचारी)	प्रथम नियुक्ति की तिथि/वरी यता क्रमांक	बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) निरसन नियमावली, (संशोधित) 2010 अनुसार ए० सी० पी०		दिनांक 01.01.09 से रूपांतरित ए० सी० पी० 2010		
			12 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि एवं प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि/वेतनमान। पुनरीक्षित वेतनमान 01.01.2006 से	24 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन की तिथि/वेतनमान	10 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि एवं प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	20 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन की तिथि/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	30 वर्षों की सेवा पूरी करने की तिथि एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन की तिथि/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री रामदेव प्रसाद, कार्यालय परिचारी, सेवानिवृत्त, 5200-20200 ग्रेड पे०-1800	01.11.75	01.11.87 09.08.99 2610-4000 (अपुनरीक्षित) 5200-20200 ग्रेड पे०-1900 (पुनरीक्षित)	01.11.99 01.11.99 2750-4400 (अपुनरीक्षित) 5200-20200 ग्रेड पे०-2400 (पुनरीक्षित) पुनरीक्षित- (01.01.09 से)	-	-	01.11.2005 01.01.2009 5200-20200 (ग्रेड 2800)
2	श्री लोलस लकड़ा कार्यालय परिचारी, 5200-20200 ग्रेड पे०-2000	31.01.86 (अपराहन)	मिल चूका है।			मिल चूका है।	01.02.16 01.02.16 5200-20200 (ग्रेड 2400)
3	श्री प्रमोद सिंह, कार्यालय परिचारी, 5200-20200 ग्रेड पे०-2000	06.12.86	मिल चूका है।			मिल चूका है।	06.12.16 06.12.16 5200-20200 (ग्रेड 2400)
4	श्री सुरेन्द्र राव, पैकर 5200-20200 ग्रेड पे०-1900 (पुनरीक्षित)	29.01.88	मिल चूका है।			29.01.2008 01.01.09 5200-20200 ग्रेड पे०-2000	

(क०प०उ०)

*Shubh*

**निदेशालय नियोजन (क्षेत्रीय कार्यालय)**

क्र० सं०	नाम एवं पदनाम	प्रथम नियुक्ति की तिथि/वरीयता क्रमांक	बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) निरसन नियमावली, (संशोधित) 2010 अनुसार ए० सी० पी०		दिनांक 01.01.09 से रूपांतरित ए० सी० पी० 2010		
			12 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि एवं प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि / वेतनमान् । पुनरीक्षित वेतनमान् 01.01.2006 से	24 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन की तिथि/वेतनमान्	10 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि एवं प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि/ वेतन वैण्ड/ ग्रेड वेतन	20 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन की तिथि/वेतन वैण्ड/ग्रेड वेतन	30 वर्षों की सेवा पूरी करने की तिथि एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन की तिथि/वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, चतुर्थवर्गीय कर्मी, <u>5200-20200</u> 1900	<u>22.07.85</u> 04 (नई वरीयता सूची)	मिल चुका है। <u>5200-20200</u> 1900	-	-	<u>22.07.05</u> 01.01.09 <u>5200-20200</u> 2000	<u>22.07.15</u> 22.07.15 <u>5200-20200</u> 2400
2	श्री इन्द्रदेव साह, चतुर्थवर्गीय कर्मी, <u>5200-20200</u> 2000	<u>22.07.85</u> 05 (नई वरीयता सूची)	मिल चुका है।	-	-	मिल चुका है।	<u>22.07.15</u> 22.07.15 <u>5200-20200</u> 2400
3	श्री रामजी सिंह, चतुर्थवर्गीय कर्मी, <u>5200-20200</u> 2000	<u>12.02.86</u> 07 (नई वरीयता सूची)	मिल चुका है।	-	-	मिल चुका है।	<u>12.02.16</u> 12.02.16 <u>5200-20200</u> 2400
4	श्री मो० इलियास, चतुर्थवर्गीय कर्मी, <u>5200-20200</u> 1900	<u>27.10.87</u> 08 (नई वरीयता सूची)	मिल चुका है।	-	-	<u>27.10.07</u> 01.01.09 <u>5200-20200</u> 2000	
5	श्री अरूण प्रसाद मालाकार, चतुर्थवर्गीय कर्मी <u>5200-20200</u> 1900	<u>27.10.87</u> 09 (नई वरीयता सूची)	मिल चुका है।	-	-	<u>27.10.07</u> 01.01.09 <u>5200-20200</u> 2000	

*Handwritten Signature*

6	श्री देवेन्द्र मिश्र, चतुर्थवर्गीय कर्मी 5200-20200 1900	01.09.88 10 (नई वरीयता सूची)	मिल चुका है।	-	-	01.09.08 01.01.09 5200-20200 2000	
7	श्री शंकर यादव, चतुर्थवर्गीय कर्मी 5200-20200 1900	10.10.88 15 (नई वरीयता सूची)	मिल चुका है।	-	-	10.10.08 01.01.09 5200-20200 2000	
8	श्री लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिंह, चतुर्थवर्गीय कर्मी 2750-70-38 00-75-4400 (अपुनरीक्षित)	11.03.80 27 (नई वरीयता सूची)	मिल चुका है।	मिल चुका है।	-		11.03.10 11.03.10 5200-20200 2800
9	श्री विश्वनाथ साव, चतुर्थवर्गीय कर्मी 2750-70-38 00-75-4400 (अपुनरीक्षित)	22.10.75 15 (पुरानी वरीयता सूची)	मिल चुका है।	मिल चुका है।	-		22.10.05 01.01.09 5200-20200 2800
10	श्री महेन्द्र राउत, चतुर्थवर्गीय कर्मी 2750-70-38 00-75-4400 (अपुनरीक्षित)	03.01.78 24 (पुरानी वरीयता सूची)	मिल चुका है।	मिल चुका है।	-		03.01.08 01.01.09 5200-20200 2800
11	श्री सुबोध मल्लिक, चतुर्थवर्गीय कर्मी 5200-20200 1900	05.02.96 31 (नई वरीयता सूची)	मिल चुका है।	-	-	05.02.16 05.02.16 5200-20200 2000	
12	श्री राजकुमार राउत, चतुर्थवर्गीय कर्मी 5200-20200 1800	31.10.02 32 (नई वरीयता सूची)	-	-	31.10.12 31.10.12 5200-20200 1900	-	-

*Handwritten signature*

(कृ०पृ०उ०)

(2) वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित कर्मियों का वेतन निर्धारण सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2003 के नियम-8 एवं सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना संशोधन नियमावली-2006 तथा वित्त विभाग के पत्रांक-2181 (वि0) (2) दिनांक-24.03.04 एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या-7566 दिनांक 14.07.10 के आलोक में किया जायेगा।

(3) वित्तीय उन्नयन के आदेश में भविष्य में त्रुटि पाये जाने पर संशोधन का अधिकार निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना में सन्निहित होगा। इस आधार पर कम या अधिक भुगतान की स्थिति में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा एकमुस्त बसूली कर ली जायेगी। सेवानिवृत्त कर्मियों के मामले में वेतन सत्यापन के पश्चात् भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

ह0/-

(संजय कुमार सिंह)

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण

बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/स्थाप (क्षे)-प्रो-02/2015

पटना-01, दिनांक-

प्रतिलिपि -महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण

बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/स्थाप (क्षे)-प्रो-02/2015

पटना-01, दिनांक-

प्रतिलिपि -सभी संबंधित जिला कोषागार/कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण

बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/स्थाप (क्षे)-प्रो-02/2015

पटना-01, दिनांक-

प्रतिलिपि-सभी उप निदेशक (नियोजन) मुख्यालय सहित/सभी सहायक निदेशक (नियोजन)/सभी जिला नियोजन पदाधिकारी/सभी नियोजन पदाधिकारी/ लेखा शाखा/बजट शाखा/सभी संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण

बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/स्थाप (क्षे)-प्रो-02/2015 - 594

पटना-01, दिनांक- 12.06.17

प्रतिलिपि -आईटी0मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।



निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण

बिहार, पटना।

U.K